International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

डॉ. भीमराम अम्बेडकर का सामाजिक संघर्ष एवं महापरिनिर्वाण

डॉ. गुलाब चन्द मीना
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत वापस लौटने पर बम्बई में बैरिस्टरी शुरू की। प्रतिभा के बावजूद अम्बेडकर की जाति उनके मार्क का कंटक थी। उनका जन्म और पालन पोषण दलितों के बीच हुआ था, इस दोष के कारण उन्होंने अपने जीवन में अनेक अपमान और यातनाएं भोगी थी। अम्बेडकर को अपनी बिरादगी के लोगों की समस्याओं और शिकायतों की पूरी जानकारी थी। उन्हें इन कठिनाइयों का व्यक्तिगत अनुभव था। वे महान् विद्वान थे और उनका व्यक्तिगत अपराजेय था। उन्हें वाणी और 1927 में अम्बेडकर को बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद में अपना पहला भाषण दिया और वह भी बजट पर। अम्बेडकर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि वह अन्यायकारी है और उसमें जनकल्याण के कार्यक्रमों की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया है। अम्बेडकर के इस पहले भाषण से ही बम्बई विधान परिषद में उनकी धाक जम गई। अम्बेडकर ने नशाबन्दी और शिक्षा जैसे विषयों पर भी विधान परिषद में महत्वपूण भाषण दिए।

अम्बेडकर के जीवन और दलित आन्दोलन के इतिहास में महाड़ सत्याग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। बम्बई विधान परिषद द्वारा पास किए गए एक प्रस्ताव को जिसे सरकार ने अनुमोदित भी कर दिया था कि तालाब व कुएं सार्वजनिक प्रयोग के लिए है, उन पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है और इसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है।[1] महाड़ नगर पालिका ने चवदार नामक तालाब अछूतों के लिए खोल दिया था। लेकिन सवर्ण हिन्दुओं के विरोध के कारण अछूत इस तालाब के पानी का उपयोग न कर सके। कोलाबा जिले के दलितों ने 19 और 20 मार्च, 1927 को महाड़ में एक सम्मेलन करने का निश्चय किया। सम्मलेन में लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि महाराष्ट्र और गुजरात के सभी जिलों से आए थे। इस सम्मेलन में अम्बेडकर ने अध्यक्ष–पद से भाषण दिया। अपने भाषण में अम्बेडकर ने कहा कि दलितों की अवनति का एक प्रधान कारण यह है कि उन्हें सेना में पर्याप्त संख्या में नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने दलितों को समझाया–''ऐसा काम करो

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जिससे तुम्हारे बाल–बच्चे तुम से अधिक अच्छी स्थिति में रहें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहोगे तो आदमी के माता–पिता और पशु के नर–मादा होने में कोई अन्तर नहीं रहेगा।[2]

सम्मेलन ने अनेक प्रस्ताव पास किए और सवर्ण हिन्दुओं से प्रार्थना की कि वे दलितों को उनके नागरिक अधिकार दिलाएं। सम्मलेन की विषय– समिति ने तय किया कि सभी उपस्थित लोग चवदार तालाब जाएं और उसका पानो पिएं। प्रतिनिधि शांतिपूर्वक जुलूस के रूप में चवदार तालाब पर गए। दलितों के इतिहास में यह एक रोमांचकारी क्षण था। तालाब पहुंच कर सबसे पहले अम्बेडकर ने और बाद में शेष जन समुदाय ने तालाब का पानी पिया। इसके बाद प्रतिनिधि सभा–स्थल पर वापस लौट आए।

इस घटना के दो घंटे बाद कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने सभा–स्थल पर हमला बोल दिया और दलित प्रतिनिधियों को मारा–पीटा। दलित प्रतिनिधि भी जवाबी कार्यवाही करने के लिए तैयार थे। लेकिन अम्बेडकर ने धैर्य से काम लिया और प्रतिनिधियों को हिंसात्मक कार्यवाही करन से रोका। दलित लोगों को मुस्लिम घरों में शरण लेनी पड़ी। स्वयं अम्बेडकर को बचने के लिए पुलिस थाने की शरण में जाना पड़ा।[3] इस प्रकार नागरिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पहला आन्दोलन समाप्त हो गया।

महाड़ की घटना ने सारे भारतवर्ष में वाद–विवाद पैदा कर दिया। वीर सावरकर ने अम्बेडकर के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छुआछुत की जितनी निंदा की जाए कम है। वह समाज का कोढ़ है, उसका जितनी जल्द अंत कर दिया जाए, उतना ही वह देश के हित में होगा। सवर्ण हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि वे दलितों को सारे मानवीय अधिकार प्रदान करें।

अम्बेडकर ने 27 अप्रैल, 1927 को अपना पाक्षिय मराठी पत्र बहिष्कृत भारत निकालना शुरू किया। पत्र का उद्देश्य यह था कि दलितों को राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति जागरूक रखा जाए। अम्बेडकर यह भी चाहते थे कि दलितों की शिकायतें सरकार तथा समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचें।

महाड़ सत्याग्रह की सफलता से सवर्ण हिन्दुओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया। उन्होंने चवदार तालाब को शुद्ध किया। इस समाचार से अम्बेडकर बेहद व्यथित हुए। उन्होंने दलितों

के अधिकारों की रक्षा के लिए महाड़ में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 25 और 26 दिसम्बर, 1927 सत्याग्रह की तिथियां निश्चित की गई। अम्बेडकर ने दलित लोगों से अपील की कि वे अपने आत्म–सम्मान की खातिर अधिक से अधिक संख्या में महाड़ सत्याग्रह में भाग लें। उन्होंने सलाह दी कि दलितों को भी आत्म–सम्मान के साथ जीवित रहने का हक है। यदि अपने सम्मान की रक्षा में प्राणों से भी हाथ धोना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सवर्ण हिन्दू सत्याग्रह के मार्ग में रोड़े अटकाएंगे, तो सारे संसार को यह पता चल जाएगा कि हिन्दू–धर्म मुर्दा हो चुका है। अब उसके सुधार की कोई सम्भावना नहीं है और दलित हिन्दू–धर्म का त्याग कर किसी अन्य धर्म की शरण ले सकते हैं।[4]

इसी बीच अमरावती में मन्दिर–प्रवेश का प्रश्न भी ज्वालामुखी बन गया था। नवम्बर 1927 को अम्बेडकर की अध्यक्षता में मन्दिर–प्रवेश के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक सभा हुई। अम्बेडकर ने कहा कि मन्दिर सभी के लिए है, देवता के दर्शन का अधिकार भी सभी लोगों को है, कोई भी देवता अछूतों के कारण भ्रष्ट नहीं होता।

पूर्व–निश्चिता कार्यक्रम के अनुसार 25 और 26 दिसम्ब्र 1927 को महाड़ में सत्याग्रह सम्मलेन हुआ। सम्मलेन ने घोषणा की कि मनुस्मृति को सावजनिक रूप से जलाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शूद्रों की निंदा की गई है और उनके विकास को अवरूद्ध कर दिया गया है। तदनुसार 25 दिसम्बर 1927 की रात में करीबन 9 बजे सभा–स्थल पर पहले से ही तैयार की गई वेदी पर मनुस्मृति को जलाया गया।

महाड़ सत्याग्रह का अछूतों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इससे कट्टरपंथी हिन्दुओं को भी धक्का पहुंचा। सरकार ने दलित वर्गो की शिकायतों पर अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करना आरम्भ किया। अम्बेडकर दलितों के निर्विवाद नेता बन गए। उनका यश सारे देश में फैल गया। चवदार तालाब के पानी के उपयोग पर अदालत में लम्बे समय तक मुकदमा चला। 1937 में बम्बई उच्च न्यायालय ने दलितों के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया।[5] इस तरह दलितों को न्याय मिला और उनके महाकाव्य का एक गौरवपूर्ण अध्याय पूरा हुआ। यह अम्बेडकर की विजय थी।

ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा। कमीशन का लक्ष्य 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की परीक्षा करना और उसमें संशोधन सुझाना था। चूंकि

कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीय लोकमत के सभी वर्गो ने उसका बहिष्कार किया। अम्बेडकर भी इस बहिष्कार में सम्मिलित थे।

अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन कमीशन की सेवा में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में अम्बेडकर ने मांग की कि दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के साथ ही कुछ स्थान भी आरक्षित रखे जाएं। अम्बेडकर का कहना था कि दलित वर्ग हिन्दू समाज में भिन्न है और उन्हें एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए। दलित वर्ग शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत के अन्य किसी भी अपेक्षा अधिक पिछडे हुए है इसलिए उन्हें दूसरे वर्गो की तुलना में अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है।[6] दलितों की स्थिति में सुधार करने के लिए सवर्ण हिन्दुओं ने जो भी प्रयत्न किए हैं, वे आटे में नामक के बराबर हैं। इन प्रयत्नों को थोथी घोषणाएं मात्र कहा जा सकता है। इनसे दलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दलितों की स्थिति में सुधार करने के लिए दलितों को स्वंय आगे आना होगा।

अम्बेडकर इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि दलितों में शिक्षा का अभाव है और इस एक कमी के कारण वे सामाजिक उन्नति के रास्ते पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों की शैक्षिक उन्नति के लिए दलित वर्ग शिक्षा समाज (डिप्रेस्ड क्लासेज एजूकेशन सोसायटी) की स्थापना की। उनके प्रयत्नों से सरकार ने दलित छात्रों के लाभ के लिए पांच छात्रावासों की स्थापना की। बम्बई सरकार ने बम्बई प्रेसीडेन्सी के दलित वर्गो तथा आदिवासियों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक अधोगति के कारणो की जांच–पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन किया। अम्बेडकर इस समिति के एक सदस्य थे। उन्होंने समिति की ओर से बेलगाम, खानदेश और नासिक जिलों का भ्रमण किया। मार्च, 1930 में समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यद्यपि दलित लोग हिन्दू रीति–रिवाजों और त्यौहारों का पालन करते है, लेकिन वे हिन्दू समाज से अलग–अलग रहते है, उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। समिति ने सिफारिश की कि यदि सवर्ण हिन्दुओं तथा दलितों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, इससे उनके बीच भाई–चारे की भावना बढ़ेगी और अलगाव की प्रवृत्ति कम होगी। समिति ने दलित छात्रों के लिए छात्रावासों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें अधिक छात्रवृत्तियां देने की

संस्तुति की। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अछूतों को पुलिस और सेवा में भर्ती किया जाये और शहरों में उनके लिए मकानों के प्लाट आरक्षित किये जाएं तथा बेकार भूमि अछूतों में बांटी जाए।[7]

12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। इस आंदोलन ने सारे देश को एक युद्ध–शिविर का रूप दे दिया। गांधीजी की दांडी यात्रा से 10 दिन पहले अम्बेडकर ने नासिक में मन्दिर का आंदोलन शुरू किया। अम्बेडकर क आवाह्न पर 15,000 स्वंय सेवक नासिक में एकत्रित हुए। 3 मार्च, 1930 को कालाराम मंदिर के सामने अंहिंसक आंदोलन आरम्भ हुआ। लगभग 15 हजार पुरूष 500 महिला स्वयं सेवकों का एक मील लम्बे जुलूस पर मंदिर प्रवेश के समय स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा पत्थर व जूते बरसाए गये। अंत में यह निश्चिय किया गया कि रामनवमी के दिन भगवान राम के रथ को अछूत व स्वर्ण मिल कर खीचेगें। किन्तु बाद में स्वर्ण हिन्दुओं ने अकेले ही जुलूस को खींचा।[8] अम्बेडकर ने इसे विश्वासघात माना।

अम्बेडकर ने आगे की कार्यवाही पर विचार करने के लिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के नजदीकी शहर यिओला में दलितों के एक सम्मलेन का आयोजन किया। अम्बेडकर ने अपने ऐतिहासिक भाषण में दलितों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया और प्रश्न उठाया कि क्या दलितों के हिन्दू–धर्म त्याग कर कोई अन्य धर्म अपनाना उचित नहीं होगा। इसी सम्मलेन में अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यद्यपि वे हिन्दू पैदा हुए हैं लेकिन वे हिन्दू के रूप में नही मरेंगे।[9] उन्होंने किस जाति में जन्म लिया, इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अपने धर्म में परिवर्तन करने का उन्हें पूरा अधिकार है। वस्तुस्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सम्मलेन ने नासिक सत्याग्रह बंद करने का और अपनी सारी शक्ति दलितों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अभ्युत्थान में लगाने का निश्चय किया।

8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित वर्ग कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अम्बेडकर थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में अम्बेडकर ने घोषणा की कि भारत स्वतंत्रता के निकट पहुंच गया है और वह संयुक्त स्वशासित राज्य बने रह सकता है। लेकिन स्वाधीन भारत का संविधान बनाते समय लोगों और परिस्थितियों की भिन्नताओं को

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि दलितों को पर्याप्त आरक्षण प्राप्त होने चाहिए। विधान मंडलों के लिए उन्हें उनक संख्या के अनुपात में सीध अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।

इन्हीं दिनों अम्बेडकर ने महात्मा गांधी द्वारा आरम्भ किए गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया और कहा कि इस तरह से जो क्रांति होगी, वह दिशाहीन होगी। इसमें किसी एक वर्ग के हाथों में प्रभुत्व जाने का डर रहता है। इस अवज्ञा आंदोलन द्वारा प्राप्त स्वाधीनता में अछूतों को उचित परिमाण में अधिकार मिल सकेंगे, इसका भरोसा नहीं है।[10] अम्बेडकर ने अपना यह विचार भी व्यक्त किया कि कांग्रेस को गोलमेज परिषद में भाग लेना चाहिए और अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने से दलितों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दलितों की समस्याओं के सुधार का एक ही उपाय है–उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार।

जिन दिनों भारत में गांधीजी का सविनय अवज्ञाा आंदोलन जोर पकड़ रहा था, ब्रिटिश सरकार ने भारत के नए संविधान से सिद्धान्तो पर विचार करने के लिए लंदन में 1930 में गरेलमेज परिषद का आयोजन किया। अम्बेडकर को दलित वर्गो का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिषद में भाग लेने का आमंत्रण मिला। उस समय कांग्रेसी नेताा जेल में थे, अतः उन्होने इसमें भाग नहीं लिया। किन्त अम्बेडकर ने दलित प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया।

अम्बेडकर ने पहली गोलमेज परिषद के अवसर पर अनेक ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से भेंट की और उन्हें अछूतों की स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर अम्बेडकर ने अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की और उसकी प्रतियां गोलमेज परिषद के सदस्यों के बीच वितरित की। गोलमेज परिषद में अपने भाषण में अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजों ने अछूतों के साथ विश्वासघात किया है। उनके भाषण की अनेक समाचार पत्रों ने सराहना की। ब्रिटिश समाचार–पत्र 'इण्डियन मेल' ने लिखा कि यह भाषण परिषद में दिये गये सारे भाषणों, में सर्वोत्तम भाषण का उदाहरण है, 'स्पेक्टेटर' अखबार ने डॉ. अम्बेडकर को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहिचाना।[11] पहली गोलमेज परिषद में अम्बेडकर ने भारतीय दलितों की समस्या को पहली बार संसार के सामने उजागर किया। परिषद समाप्त होने पर 22 फरवरी 1931 को अम्बेडकर लंदन से बम्बई पहुंच गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ।

पहली गोलमेज परिषद में कांग्रेस के शामिल न होने से ब्रिटिश सरकार परेशान थी। कांग्रेस के बिना सारी परिषद बिना दूल्हे वाली बारात के समान थी। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समझौता करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि भावी संविधान के निर्माण में कांग्रेस भी भाग ले। समझौते का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 25 जनवरी 1931 को सरकार ने महात्मा गांधी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं को जेल से बिना शर्त रिहा किया। गांधी इर्विन समझौते के अनुसार अगस्त 1931 में लंदन में आयोजित दूसरी गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी कांग्रेस के एक मात्र अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। अम्बेडकर को इस परिषद में भी आमंत्रित किया गया था। किन्तु गांधीजी की उपस्थिति भी परिषद को सफल न बना सकी। दूसरी गोलमेज परिषद में अम्बेडकर को फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी का सदस्य बनाया गया। परिषद में अम्बेडकर और गांधीजी के बीच अनेक बार नोंक–झोंक हुई। अम्बेडकर ने रियासमों के हुकमरानों से मांग की कि वे सवसाधारण जनता को सभ्य और सुसंस्कृत जीवन की सारी सुविधाएं देंगे। रियासतों में चुनावों द्वारा जनता के प्रतिनिधियां को स्थान देना चाहिए। नामजद करने का तरीका एक जिम्मेदार सरकार के उसूलों के खिलाफ है। जमींदारों को रूढिवादिता का शिकार मानने के कारण अम्बेडकर ने उनके विशेष प्रतिनिधित्व का घोर विरोध किया। देशी राजाओं और नरेशों की मनमानी को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि– भारत के किसी भी राज्य को फैडरल असेम्बली में शामिल करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके यहां सभी नागरिकों को समान सुविधाएं पहुंचाने के साधन है या नहीं। यदि कोई राज्य या राजा इसमें अपनी असमर्थता प्रकट करता है, तो उसे सदस्यता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।[12]

दूसरी गोलमेज परिषद के अन्त में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडानल्ड ने प्रतिनिधियों से यह वचन ले लिया था कि यदि सांप्रदायिक समस्या का कोई सर्वसम्मत हल नही निकला, तो ब्रिटिश सरकार इस विषय में अपनी कोई कामचलाऊ योजना लागू करेगी। 8 अगस्त, 1932 को मैकडानल्ड ने साम्प्रदायिक समस्या के बारे में, ब्रिटिश सरकार का निर्णय प्रकाशित किया। यह निर्णय सांप्रदायिक निर्णय के नाम से विख्यात है। इस निर्णय के अनुसार अस्पृश्यों को प्रथक निर्वाचन क्षेत्र तथा आरक्षित स्थान दिये गये थे, साथ ही वे हिन्दू प्रतिनिधियों के चुनाव में भी भाग ले सकते थे।[13] इस योजना का सबसे आपत्तिजनक अंश यह था कि इसमें दलित

वर्गों को एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग मान लिया गया था। उन्हें पृथक, निर्वाचक पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का और साधारण निर्वाचन–क्षेत्रों में एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक निर्णय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने का कुचक्र था।

सांप्रदायिक निर्णय के दलित वर्गों से संबंध रखने वाले प्रावधान गांधीजी को सहन नहीं हुए। उन्होंने इस योजना को रद्द करने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया। वे उस समय पूना की यरदवदा जेल में थे। उन्होंने 20 सितम्बर 1932 को जेल में ही अपना उपवास कर दिया। अम्बेडकर ने इसे ''राजनीतिक धूर्तता'' बताया। और भी बहुत से नेताओं ने उपवास के विरोध में अपने विचार प्रकट किए। पंडित मदनमोहन मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद और एम.एस.राजा के प्रयत्नों से एक समझौता–सूत्र तैयार किया गया, जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और जिस पर आधे मन से अम्बेडकर ने भी देश के नेताओं के दबाव में हस्ताक्षर कर दिए।[14] इस सूत्र के अनुसार अछूतों को साम्प्रदायिक निर्णय में दिए गए स्थानों से भी अधिक स्थान दिए गए। लेकिन अछूतों को अपने प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार नहीं था। गांधी और अम्बेडकर का यह समझौता ''पूजा समझौते'' के नाम से विख्यात है और यह 26 सितम्बर 1932 को अंगीकार किया गया था। उसी दिन महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ दिया। पूना समझौता अम्बेडकर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

अम्बेडकर ने 1932 के अंत में लंदन में आयोजित तीसरी गोलमेज परिषद में भी भाग लिया। इस अवसर पर एक पत्र के माध्यम से अम्बेडकर ने कहा कि– छूत और अछूत को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के समीप नहीं लाया जा सकता।[15] भारत के भावी संविधान के बारे में मोटी–मोटी बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी। परिषद का काम तो सिर्फ यह था कि वह पहले से निर्णीत बातों की पुष्टि कर दे और कुछ बातों को विस्तारपूर्वक तय कर दे। परिषद ने केन्द्र में भारत को उत्तरदायी शासन नहीं दिया। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज परिषदों के निर्णयों के आधार पर अपना श्वेत–पत्र प्रकाशित किया जो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को नींव बना। परिषद की कार्यवाही समाप्त होते ही अम्बेडकर भारत लौट आए।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसी बीच 27 मई, 1935 को अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई आदर्श भारतीय महिला थी। उन्होंने अम्बेडकर के संघर्षकालीन दिनों में कष्ट ही कष्ट भोगे थे।

भारतीय शासन अधिनियम 1935, प्रान्तीय स्वायत्तता, जिन्ना का द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त आदि से भारत में वैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। मार्च, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को वैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए भारत भेजा। क्रिप्स ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, सिख संगठनों तथा देशी रियासतों के नरेशों से बात की और भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। क्रिप्स योजना ने लड़ाई खत्म होने पर भारत की स्वतंत्रता का वचन दिया लेकिन पिछले दरवाजे से पाकिस्तान के निर्माण की भी कोशिश की। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। अम्बेडकर ने भी क्रिप्स योजना को ठुकरा दिया, उनके विचार में उसमें दलित वर्गो के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। इनसे अछूतों को हानि होती क्योंकि अछूत लोग स्वर्ण हिन्दू राज में बंध जायेंगे। जो उन्हें विगत के अन्धकारमय दिनों की ओर ले जायेगा।[16] यदि ब्रिटिश सरकार दलितों पर ऐसे संविधान को थोपती हैं, जिसे उनकी सहमति प्राप्त न हो, तो वे इसे विश्वासघात मानेंगे।

जुलाई, 1944 में वायसराय ने अपनी एक्जीक्यूटिव कौंसिल का फिर से गठन किया और उसमें अम्बेडकर को श्रम विभाग सौंपा। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था कि एक अछूत को वायसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया गया। अम्बेडकर अपने श्रम, विद्वता और कर्त्तव्य निष्ठा के बल पर जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गए थे।

कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ों आन्दोलन आरम्भ किया। मुस्लिम लींग, हिन्दू महासभा, साम्यवादी दल और अम्बेडकर के अनुयाइयों ने आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। अम्बेडकर ने सरकार को यह समझाने का प्रयत्न किया कि भारतीय राजनीति में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके सहयोग के बिना भारत की वैधानिक समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं हो सकेगा।

जुलाई, 1945 में इग्लैंड में आम चुनाव हुए और मजदूर–दल के हाथों में सत्ता आ गई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह स्वीकार किया कि भारत की स्वतन्त्रता पाने का अधिकार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल के तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा। मंत्रिमण्डल के ये तीन सदस्य थे– सर स्टेफड्र क्रिप्स, ए.वी. एलेक्जैंडर और लार्ड पैथिक लारेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य 24 मार्च 1947 को दिल्ली पहुंचे। दलित वगा ने अम्बेडकर को अपना नेता चुना और उन्हें अधिकार दिया कि वे केबिनेट मिशन के सामने दलितों के हित का प्रश्न रखें। अम्बेडकर संविधान सभा नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें स्वर्ण हिन्दुओं का ही बोलबाला था।[18] अम्बेडकर ने मांग की कि विधान मण्डलों में दलितों के प्रतिनिधियों का चुनाव पृथक निर्वाचन पद्धति के द्वारा हो। उन्होंने यह भी मांग की कि विधान मण्डलों तथा सरकारी नौकरियों में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अम्बेडकर चाहते थे कि भारत के नए संविधान में इन उपबंधों को शामिल किया जाए।[19]

सन् 1947 में स्वतन्त्र भारत के नए मंत्रिमण्डल का निर्माण हुआ, उसमें अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। 21 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने संविधान की प्रारूप समिति का निर्माण किया। अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यह अम्बेडकर के जीवन का चरमोत्कर्ष था। नए भारत ने अपनी विधियों के निर्माण का कार्य एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा, जिसने कुछ वर्ष पहले मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र का दहन किया था। नए संविधान का मसविदा तैयार करने का काम अम्बेडकर के कंधों पर पड़ा और उन्होंने अपनी यह जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभाई। फरवरी 1948 के अन्तिम सप्ताह में अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया और उसे संविधान सभा के अध्यक्ष की सेवाव में प्रस्तुत किया।

यद्यपि प्रथम पत्नी रमाबाई की 1935 में मृत्यु के बाद अम्बेडकर ने पुनर्विवाह न करने का निर्णय लिया था, किन्तु अब जबकि अम्बेडकर की आयु 56 वर्ष की हो गई थी और अनेक रोगों ने उन्हें घेर लिया था अतः चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने सुश्री शारदा कबीर से विवाह करने का निश्चय किया। शारदा जाति से सारस्वत ब्राह्मण थी। 15 नवम्बर, 1948 को सिविल मैरिजेज एक्ट के अन्तर्गत अम्बेडकर का विवाह सम्पन्न हुआ। सुश्री शारदा पेशे से डाक्टर थी। अम्बेडकर की बीमारी के समय में डॉ. शारदा कबीर ने उनकी बहुत सेवा की थी।[20]

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रारूप संविधान छह महीनों तक जनता के सामने रहा था। 4 नवम्बर, 1948 को अम्बेडकर ने प्रारूप संविधान को संविधान सभा के सामने पेश किया। इस अवसर पर अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और संविधान की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि संविधान व्यावहारिक है। यह लचीला है और उसमें इतनी मजबूती है कि यह देश की एकता के सूत्र में बांधे रखेगा। यदि इस संविधान के अन्तर्गत घटनाचक्र विपरीत रूख लेता ह, तो यह संविधान की नहीं, संविधान के संचालकों की कमी होगी।

संविधान पास होने के बाद अम्बेडकर ने अपना ध्यान हिन्दू कोडबिल पर केन्द्रित किया। बिल का लक्ष्य हिन्दू समाज के मूल ढांचे को बदलना तथा उसे अधिक उदार बनाना था। जिससे कि वह आधुनिक युग क अनुकूल हो सकें। अम्बेडकर ने इस विधेयक को तैयार करते समय हिन्दू–धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। भारतीय समाज में नारी को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु 1950 में ''हिन्दू कोड बिल'' प्रस्तुत किया। कानून मंत्री की हैसियत से उन्होंने भारतीय समाज में नारी की दयनीय तथा उपेक्षित स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। अम्बेडकर ने हिन्दू बिल को हिन्दू–शास्त्रों के अनुसार बताते हुए कहा कि–''जहां तक हिन्दू कोड बिल के आधार का सम्बन्ध है, यह हिन्दू–शास्त्रों के अनुसार है। स्त्री के सम्पत्ति का अधिकार ''दाय भाग'' के अनुसार है। बृहस्पतिस्मृति में भी स्त्री की सम्पत्ति का अधिकार का समर्थन किया गया है। तलाक का समर्थन मनुस्मृति व पाराशर ने भी किया है।[21] हिन्दू कोड बिल के माध्यम से अम्बेडकर ने स्त्रियों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के अधिकार दिलाये जाने के साथ–साथ उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इस विधेयक के फलस्वरूप हिन्दू–समाज में व्यापक मतभेद उत्पन्न हो गए। अम्बेडकर को बिल पास कराने में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से वांछित सहायता नहीं मिली। उन्होंने 27 सितम्बर,1951 को मंत्रिमंडल से त्याग–पत्र दे दिया। तथापि प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की राय पर वे 11 अक्टूबर 1951 तक अपने पद पर कार्य करते रहे। जनवरी, 1952 में भारत में पहले आम–चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ। अम्बेडकर चुनाव में हार गए। लेकिन मार्च, 1952 में वह राज्य सभा के लिए निर्वाचित हो गए।

अब तक अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि हिन्दू समाज में रहकर अछूत सम्मान का जीवन नहीं बिता सकते। उन्होंने हिन्दू–धर्म का त्याग करने तथा कोई अन्य धर्म

अंगीकार करने के बारे में विचार करना आरम्भ कर दिया। ईसाई–धर्म, इस्लाम–धर्म, सिक्ख–धर्म तथा बौद्ध–धर्म के नेताओं ने अम्बेडकर से अनुरोध किया कि वे उनके धर्म को स्वीकार कर लें। अपने जीवन के अंतिम चरण में अम्बेडकर ने बौद्ध–धर्म के पुनरूत्थान की ओर ध्यान दिया। दिसम्बर, 1954 के शुरू में उन्होनें रंगून में होने वाले तीसरे बौद्ध सम्मलेन में भाग लिया।

1956 के आरम्भ मे उन्होंने अपने गौरव ग्रंथ ''बुद्ध एण्ड हिज धम्म'' की पांडुलिपि पूरी की। यह ग्रन्थरत्न अम्बेडकर की मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हो सका था। 23 सितम्बर को अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इसके लिए भारत में सबसे वृद्ध बौध भिक्षु चन्द्रमणी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। 5 लाख अनुयायियों सहित 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया।[22]

नवम्बर 1956 के तीसरे सप्ताह में काठमांडू नेपाल में बौद्ध–धर्म का एक सम्मलेन हुआ। अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बौद्ध–धर्म संसार का सबसे महान् धर्म है। वह एक धर्म होने के साथ–साथ सामाजिक सिद्धान्त भी हे। ''बुध और कार्यमार्क्स'' विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ''मार्क्स और बुद्ध दोनों का अंतिम हेतु समाज है, किन्तु बुद्ध का मार्ग मार्क्स से भिन्न है, लेकिन अधिक हितकारी है। मार्क्स का मार्ग हिंसा का है, तानाशाही का है, इसलिए वह क्षणिक है। बुद्ध का रास्ता अंहिसंक और प्रजातंत्रवादी है।[23]

1956 का दिसम्बर माह क्रान्तिकारी, मार्गदर्शक और कोटि–कोटि शोषितों पीड़ितों के उद्दारक डा. अम्बेडकर के जीवन का अंतिम अध्याय सिद्ध हुआ। सब कुछ इतनी तेजी से और अविश्वसनीय तरीके से हुआ कि निकट लोगां के लिए भी विश्वास करना कठिन हो गया।

दलित समाज के लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष करने वाले डा. अम्बेडकर की 5 दिसम्बर 1956 को उनके नयी–दिल्ली स्थित, निवास स्थान पर मृत्यु हुई। वे रात को निद्रावस्था में ही परलोक सिधार गए। उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज द्वारा बम्बई ले जाया गया जहां 7 दिसम्बर 1956 को उनकी अन्त्योष्टि की गई। अम्बेडकर की मृत्यु के समासचार से सारा देश शोक में डूब गया। सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि अम्बेडकर भारतमाता के महान् सपूत

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

थे। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा और संविधान निर्माण में अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि ''हिन्दू–धर्म में उत्पीड़न के खिलाफ डा. अम्बेडकर विद्रोह के प्रतीक के रूप में माने जायेंगे।[24] सावरकर, सी. राजगोपालाचारी, जी.बी. पंत जैसे प्रमुख नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसद ने अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा। अम्बेडकर ने समूचे देश के सम्बन्ध में, भारत के इतिहास के संबंध में और समाज के सम्बन्ध मं जो महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान दिया है, वह कभी भुलाया नही जा सकता। दलित वर्गो के लिए उनकी सेवाएं ऐतिहासिक महत्व की हैं।

इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि निम्न वर्ग में पैदा होने के कारण अम्बेडकर को अनेक सामाजिक यातनाओं से अपमानित होना पड़ा। सवर्णों द्वारा किये गये दुर्व्यहार ने अम्बेडकर को कठोर ह्रदय एवं विद्रोही प्रकृति का बना दिया, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि अम्बेडकर के जीवन में विद्रोह और कठोरता को छोड़कर कुछ था ही नहीं। उनमें इसके अलावा सरसता, सह्रदयता और प्यार भी था। वे पूर्ण मानवतावादी थे। सभी मनुष्यों के प्रति उनके ह्रदय में अपार प्रेम था। अम्बेडकर में ये सभी गुा बाबा मालोजी, पिता रामजी और माता भीमाबाई से विरासत में प्राप्त हुए थे। स्वंय अम्बेडकर ने तीन महापुरूषों को अपना प्रेरणास्त्रोत बताया है। उनमें पहले कबीर, दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले और तीसरे भगवान बुद्ध। कबीर ने उन्हें भक्ति–भावना प्रदान की, ज्योतिबा फुले ने उन्हें ब्राह्मण विरोध के लिए प्रेरित किया, सामूहिक पश्चाताप का विचार दिया और शिक्षा तथा आर्थिक उत्थान का सन्देश दिया। बुद्ध से उन्हें मानसिक और दार्शनिक ज्ञान पिपासा बुझाने वाला अमृत मिला और अछूतों के उद्धार का मार्ग–दर्शन प्राप्ता हुआ, जिसका माध्यम था, सामूहिक धर्म परिवर्तन।[25] संक्षेप में डा. अम्बेडकर आधुनिक भारत के कर्ण थे। समाज में सबसे निचले स्तर में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने श्रम, प्रतिभा तथा व्यक्तिक गुणों के कारण आश्चर्यजनक उन्नति की और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

संदर्भः–

1. डा. राजेन्द्र मोहन भटनागरः डा. अम्बेडकर जीवन और दर्शन,1992, पृ. 51
2. डा. डी.आर. जाटवः डा. अम्बेडकर व्यक्तित्व और कृतित्व, 1993, पृ. 110
3. डब्ल्यू.एन.कुबेर : आधुनिक भारत के निर्माता भीमराम अम्बेडकर, 1990, पृ.22
4. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ताः भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार, 1997
5. रामलाल विवेकः डा. अम्बेडकर जीवन और आदर्श, 1992, प.71
6. हितांशु राय : युगपुरूष बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर (संघर्ष गाथा), 1990पृ. 30
7. एल.आर. बालीः डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, 1992, पृ. 96
8. डब्ल्यू.एन.कुबेरः आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अम्बेडकर, 1990पृ. 23
9. भिक्षु संघ रक्षित (अनु. के.सी. सुलेख) डा. अम्बेडकर की सच्ची महानता, 1991 प. 35
10. वसंत भ्मूनः डा. बाबा साहेब अम्बेडकर 1991 पृ. 58
11. ''वही'' पृ. 60
12. हितांशु राय : युगपुरूष बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर (संघर्ष गाथा), 1990पृ.58–59
13. डा. म.ला.शहारे, डा. नलिनी अनिलः डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं संदेश 1992 प. 122
14. डा. राजेन्द्र मोहन भटनागर : डा. अम्बेडकर जीवन और दर्शन, 1992 पृ. 75
15. रामलाल विवेक : डा. अम्बडकर जीवन और आदर्श, 1992, पृ. 111
16. डा. डी.आर जाटवः डा. अम्बेडकर व्यक्तिगत और कृतित्व, 1993, पृ. 158
17. धनंजय कीर : डा. अम्बेडकर लाईफ एण्ड मिशन, 1991, पृ. 342
18. डा. डी.आर. जाटवः डा. अम्बेडकर व्यक्तित्व और कृतित्व, 1993, पृ. 181
19. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ताः भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार, 1997 पृ.60
20. हितांशु राय : युगपुरूष बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर (संघर्ष गाथा), 1990पृ. 180
21. एल.आर बाली : डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, 1992, पृ. 295
22. एल.आर बाली : डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, 1992, पृ. 327
23. बसंत मूनः बाबा साहेब अम्बेडकर, 1991, पृ. 187–188
24. डब्ल्यू.एन.कुबेरः आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अम्बेडकर, 1990पृ. 76
25. डब्ल्यू.एन.कुबेरः आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अम्बेडकर, 1990पृ. 17